

BOOK No. 01 Sl. No. 31
dated _____



23 SEP 2022 प्रपत्र-ख (2)

नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 के अवसर पर समर्थक द्वारा दिये जाने वाला

प्रपत्र-पत्र

श्री. मनीष कुमार पिता/स्व. श्री. जीजा प्रसाद

उप 37 वर्ष, *नगर विभाग *मनुष्य *मनुष्य *मनुष्य मुजफ्फरपुर

के वार्ड संख्या 34 मोहल्ला आफगोला मनुष्यी किरा आजा पत्नी सुत्री गोस्वामी देवपुर

जिला मुजफ्फरपुर बिहार का निवासी है तथा राज्य पूर्वक पंजीयन करता/करती है:-

कि मैं *नगर विभाग *मनुष्य *मनुष्य *मनुष्य मुजफ्फरपुर

के वार्ड संख्या 34 में *पूर्व/द्व. मुजफ्फरपुर/मुजफ्फरपुर पर नाम निर्देशन पर पंजीयन करने वाले अभ्यर्थी कुमारी प्रियंका का समर्थक है

कि मैं बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 18 के उपबन्धों में एवं बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली के नियम 42(2) के प्रावधानों में पूर्णतः अयोग्य है;

कि मैं बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली के नियम 42(2) एवं बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 18 के तहत *नगर विभाग *मनुष्य *मनुष्य *मनुष्य मुजफ्फरपुर के वार्ड 34 में *पूर्व/द्व. मुजफ्फरपुर/मुजफ्फरपुर पर के प्रस्तावक/समर्थक बने रहने के लिए अनर्हित नहीं है;

*कि धो ऊपर कोई आपराधिक मामला देश के भीतर या बाहर के किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

*धो ऊपर आपराधिक मामलों में संबंधित मुकदमों (मुकदम एवं पट्टीय, प्रत्येक दो हुए) निम्नलिखित है:

1. देश के भीतर या बाहर के न्यायालय का नाम जहाँ आपराधिक मामला लंबित है- शुन्य
2. वार संख्या- शुन्य
3. आरोप की प्रकृति एवं तारीख शुन्य

स्थान- मुजफ्फरपुर
तारीख- 23/9/2022

The State of Bihar
Electoral Commission
Patna
23/09/2022

Sanish Kumar
समर्थक की हस्ताक्षर

*जो लागू नहीं हो उसे हट्ट री।
नोट : कार्यपालक दफ्तर/बिहार के राज्य सचिव को सचिव राज्य ली कल्ले।
23/9/22
0304